

राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत बैच सं. 2
(न्यायालय :- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर,
जिला श्रीगंगानगर)

बलजीत सिंह आदि बनाम जग्गा सिंह आदि
वाद स 47/2020 जीसीएमएस आईडी 2020/00153
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

12.03.2022

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय), श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक/स्था/ने.लो.अ./2022/21 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत (राजस्व न्यायालयों) हेतु गठित की गई बैच सं. 2 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किए जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैच के समक्ष पेश हुई। वकील उभयपक्ष के निवेदन के आधार पर मूल रास्ता प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह गयी है। अतः प्रार्थना पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है, तथा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.07.2020 को निरस्त किया जाता है।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर मूल प्रकरण 12/2020 251क आरटीए के संलग्न रहे।


सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत बैच
रायसिंहनगर


अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत बैच
रायसिंहनगर

